प्रसार शिक्षा निदेशालय

गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (ऊधमसिंहनगर)

दिनांक : अगस्त 04, 2025

पत्रांक : प्र.शि.नि./2402

कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में अगले आदेशों तक डा0 ध्यानपाल सिंह कृषक भवन के आवंटन हेतु निम्न तालिकानुसार किराये की दरें एवं शर्तें लागू करने की सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी है।

1. डा0 ध्यानपाल सिंह कृषक भवन की किराया दरें:

क्र.सं.	आवंटन	अवधि	15 मई, 2025 से प्रभावी दरें (₹)
1.	वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों/शिक्षकों/अधिकारियों के पुत्र/पुत्री, भाई/बहन हेतु दरें	48 घण्टे	₹ 60000+18 प्रतिशत जी.एस.टी.
2.	विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के पुत्र/पुत्री, भाई/बहन हेतु दरें *(सेवानिवृत्त कर्मचारी/ अधिकारियों को सेवानिवृत्त विभाग से सत्यापित एवं अग्रसारित कराना अनिवार्य होगा)।*	48 घण्टे	₹ 65000+18 प्रतिशत जी.एस.टी.
3.	विश्वविद्यालय परिसर के दुकानदार, ठेकेदार एवं अन्य हेतु मान्य दरें	48 घण्टे	₹ 85000+18 प्रतिशत जी.एस.टी.
4.	विश्वविद्यालय के किसी विभाग द्वारा विभागीय कार्य के लिये मान्य दरें	प्रतिदिन	₹ 20000+18 प्रतिशत जी.एस.टी.

2. आवंटी द्वारा हॉल को बुक कराने हेतु आवेदन पत्र के साथ ₹ 5000.00 अग्रिम राशि के रूप में जमा कराना होगा, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जायेगी। अवशेष शुल्क एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में बुकिंग स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. हॉल की बुकिंग निरस्त करवाने हेतु आवेदक को समारोह (जिस तिथि हेतु बुकिंग की गयी है) तिथि से 10 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा किराया किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
4. हाल का आरक्षण समय प्रातः 8:30 बजे से लागू होगा।
5. किराये की दरें अधिकतम 48 घण्टे (दो दिन) तक मान्य रहेंगी। समय अवधि उपरान्त भवन के प्रयोग की अनुमति किसी भी दशा में प्रदान नहीं की जा सकती है।
6. विद्युत किराये के रूप में ₹ 5000.00 प्रति समारोह आवंटी को विद्युत विभाग में जमा कराना होगा, जिसमें विश्वविद्यालय नियमानुसार विद्युत किराया शुल्क मीटर रीडिंग के हिसाब से विश्वविद्यालय दर पर काटा जायेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक को विद्युत विभाग द्वारा अलग से कनेक्शन दिये जाने पर अतिरिक्त शुल्क ₹ 5000.00 जमा करना होगा, जिसे देय विद्युत बिल से कटौती कर शेष धनराशि आवंटी को वापस कर दी जायेगी। उक्त धनराशि विद्युत विभाग द्वारा आंकलन करते हुए जमा कराई जायेगी।
7. सफाई का कार्य सफाई विभाग के माध्यम से कराया जायेगा, जिसकी धनराशि सफाई विभाग में ₹ 5000.00 या सफाई विभाग द्वारा आंकलन करते हुए जमा कराई जायेगी।
8. हॉल के प्रयोग हेतु जलापूर्ति के लिए विश्वविद्यालय कार्मिकों हेतु ₹ 200.00 प्रतिदिन एवं वाह्य संस्थान के कार्मिकों हेतु ₹ 400.00 प्रतिदिन की दर से जल शुल्क देना होगा।

Dean C.T. Office
Receipt No. 2367
Date 12-8-25
शोध निदेशालय
पत्र प्राप्ति पत्रांक 2340
दिनांक 06/08/2025

9. आवंटी द्वारा धरोहर राशि के रूप में ₹ 25000.00 (सुरक्षा/सफाई धनराशि के रूप में) प्रसार शिक्षा निदेशालय में जमा करना होगा, जिसे आवंटी द्वारा हॉल को यथास्थिति में वापस करने के उपरान्त लौटा दी जायेगी।
10. यदि समारोह के दौरान बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान होता है तो इसके लिये विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवंटी को अपने स्तर से जनरेटर की व्यवस्था करनी होगी।
11. यदि आवंटी द्वारा आयोजन के दौरान कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन अथवा जिला प्रशासन द्वारा विभागीय कार्यवाही किये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
12. धरोहर धनराशि एवं किराये से सम्बन्धित धनराशि प्रसार शिक्षा निदेशालय के चक्रीय निधि खाते में तथा विद्युत एवं सफाई सम्बन्धी राशि क्रमशः विद्युत विभाग एवं सफाई विभाग में जमा कराई जायेंगी।
13. उक्त दरें 15 मई, 2025 अथवा उसके बाद से की गयी बुकिंग पर ही लागू रहेंगी, साथ ही ऐसे बुकिंग जो 15 मई, 2025 से पूर्व की गयी हों, किन्तु हॉल का उपयोग 15 मई, 2025 या उसके बाद किया जाना हो, ऐसे प्रकरणों पर पूर्व दरें ही प्रभावी रहेंगी। उन प्रकरणों को पुनः उद्घाटित नहीं किया जायेगा।
14. उक्त दरें अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगी।
15. जी0एस0टी0 की दरें सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित दरों के अनुसार लागू होंगी।

10/4/25

निदेशक प्रसार शिक्षा

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. लेखाकार, लेखानुभाग, प्रसार शिक्षा निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्षों/इकाई प्रभारियों को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों को सूचित करने का कष्ट करेंगें।
3. प्रभारी अधिकारी डा0 ध्यानपाल सिंह कृषक भवन, प्रसार शिक्षा निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
4. नियंत्रक महोदया।
5. निदेशक, निर्माण एवं संयंत्र।
6. कुलपति महोदय के निजी सचिव को कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

– All Heads / Unit Incharge
– A. A.O.

11/8/25

Dean
College of Technology
G. B. Pant University of Agric. & Tech.
Pantnagar-263145(U.S. Nagar) Uttarakhand

D:\SAMETI\Dr B D. Singh\Dhavan Pal Singh Hall\Hindi Letters.doc

Website